# टार्ल प्रशिक्षण से बच्चों के बुनियादी कौशल को मिलेगी मजबूती

**पचरूखी।** प्रखंड के गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा विकसित सही स्तर पर शिक्षण (टार्ल) पद्धति को लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों ने बच्चों के वास्तविक सीखने के स्तर के अनुरूप शिक्षण गतिविधियां संचालित करने की जानकारी दी। प्रशिक्षक सच्चिदानंद तिवारी ने बताया कि सही स्तर पर शिक्षण पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था से अलग है। इसमें बच्चों को उनकी उम्र या कक्षा के बजाय उनके वास्तविक सीखने के स्तर के आधार पर समूहों में बांटकर पढ़ाया जाता है। जयप्रकाश सिंह ने कहा कि इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बुनियादी कौशल को मजबूत करना है। इसके तहत पठन, समझ, अभिव्यक्ति और बुनियादी गणितीय क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है।

राकेश कुमार सिंह ने बताया कि टार्ल पद्धति को कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसके तहत 60 दिनों की अवधि में कक्षा चार से आठ तक के बच्चों का प्रारंभिक आकलन किया जाता है। आकलन के आधार पर बच्चों को अक्षर, शब्द, अनुच्छेद और कहानी पढ़ने के स्तर के साथ-साथ अंकों की पहचान, संख्या ज्ञान, जोड़-घटाव और भाग जैसी गणितीय दक्षताओं के अनुसार समूहों में बांटा जाता है। इसके बाद संवादात्मक गतिविधियों, खेलकूद, समूह चर्चा और रोचक शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से बच्चों को उनकी कक्षा के अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। श्रीकांत ने बताया कि इस पद्धति से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रक्रिया अधिक सहज बनती है। यह पद्धति निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्यों को हासिल करने में भी उपयोगी है।




प्रशिक्षण में कमाल तकनीक के माध्यम से बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने पर जोर दिया गया। इसमें मौखिक बातचीत, कहानी पढ़ना, अभिनय, शब्द चक्र, अक्षर एवं शब्द कार्ड, मूर्त वस्तुओं और संख्या चार्ट के जरिए बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक प्रत्येक बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठकर उसकी प्रगति का आकलन भी करते हैं। मौके पर जिला रिसोर्स पर्सन पूनम तिवारी, साक्षी देवी, गुड्डू कुशवाहा, अलका राजपूत, विक्रांत पांडेय, धनंजय साह, नीलू कुमारी, लक्ष्मी देवी, अमूल कुमार, रहबर रजा, रविशंकर प्रसाद, दमयंती कुमारी, शुभांगी शर्मा, अमरनाथ, राजीव रंजन, सुनील साह, प्रतिभा कुमारी, किरण कुमारी और वीरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक-प्रशिक्षु उपस्थित थे।

## धान की फसल कटाई प्रयोग का जायजा खेत पहुंचे बीडीओ, बीएओ व केंद्रीय टीम

**भोरे।** भोरे प्रखंड के जगतौली गांव में एक किसान के खेत में धान की फसल का कटाई का प्रयोग किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन चंद्र उपाध्याय और केंद्रीय टीम के सदस्य मौजूद रहे। अधिकारियों ने खेत में पहुंचकर धान की फसल की स्थिति का निरीक्षण किया और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयोग संपन्न कराने पर जोर दिया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को फसल कटाई प्रयोग की प्रक्रिया, उसके उद्देश्य और उपज आकलन के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रयोग के माध्यम से खेतों में उत्पादित धान की उपज का आकलन करने में सहायता मिलती है। अधिकारियों ने कहा कि फसल कटाई प्रयोग कृषि संबंधी आंकड़े जुटाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके जरिए फसलों की वास्तविक उत्पादकता का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। प्राप्त आंकड़े कृषि उत्पादन के आकलन और संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोगी साबित होते हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पूरे कार्य का निरीक्षण किया और प्रयोग को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न कराने पर ध्यान दिया। इस पहल का उद्देश्य फसल उत्पादन से संबंधित आंकड़ों के संकलन की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और किसानों की फसलों की उत्पादकता का सही आकलन सुनिश्चित करना है।

## नारायणी महोत्सव की तैयारियों की डीएम ने की समीक्षा

**गोपालगंज।** गंडक नदी के डुमरिया घाट पर प्रस्तावित नारायणी महोत्सव के आयोजन और तैयारियों की समीक्षा को लेकर गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। नारायणी महोत्सव का आयोजन आगामी 23 नवंबर 2026 को संभावित है। बैठक में डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों के चयन, घाट पर बैरिकेडिंग, गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति तथा विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि महोत्सव के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए गठित विभिन्न समितियां अपनी जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन करें और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करें। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों की सुरक्षा, घाट पर आवश्यक इंतजाम और विधि-व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित तैयारियों पर भी जोर दिया गया। प्रशासन की ओर से आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए तैयारियों की नियमित समीक्षा करने पर बल दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार, भू-अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

**Govt. of Bihar**

**DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (DPMU) DARBHANGA**
**STATE SOCIETY FOR ULTRA POOR & SOCIAL WELFARE (SSUPSW), SAKSHAM,**
**DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE, GOVERNMENT OF BIHAR,**
Social Security Cell, Collectorate Darbhanga, Bihar- 846001 &Saksham DPMU cum Buniyad, Bahadurpur Block Campus, Beside FCI Godown Darbhanga-846002
Phone No:- 06272-244645, E-mail: darbhangasaksham@gmail.com

**SHORT TERM TENDER**

**SOCIAL SECURITY CELL, COLLECTORATE DARBHANGA invites sealed tenders from reputed Organisations/Agencies for Supply of Manpower to run "Male Beggars Rehabilitation Home" in DARBHANGA under MukhyamantriVikshavritiNivaran Yojna (MBNY)**

The interested Organisations/ Agencies may submit their Technical and Financial bid in prescribed format in separate sealed cover. The required manpower services, bid document, terms and conditions, format for technical and financial bid for participating in the bid are available at DPMU (SAKSHAM), DARBHANGA, District Social Security Cell, Darbhanga, **www.ssupsw.in**and on www.darbhanga.nic.in
The other important details are as follows:

| S. N | PARTICULARS | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | Availability of Tender documents in District Social Security Cell, Collectorate Darbhanga &DPMU (Saksham), Darbhanga andonline website**www.ssupsw.in** and on **www.darbhanga.nic.in** | From 03/11/2026 To 26/11/2026 till 05:00PM |
| 2. | Last Date and Time for receipt of sealed Tender offers | 26/11/2026 till 5:00PM |
| 3. | Date & time of opening of bid | 28/11/2026 at 12:30PM |
| 4. | Earnest Money Deposit (EMD) | Rs. 20,000/- |

The District Social Security Cell, Collectorate Darbhanga, Bihar- 846001will reserve right to cancel this tender or its process at any stage without assigning any reason.

The Technical Bid & Financial Bid should be sealed in two separate envelopes by mentioning the words "Technical Bid"/ "Financial Bid" on the respective covers specifically. These two envelopes should be contained in a single sealed envelope superscribed as "TENDER FOR SUPPLY OF MANPOWER" and should be submitted by Post/Courierlatest by26/11/2026 **till 5:00 PM** to DPMU –cum-Buniyad Kendra, Sadar, Bahadurpur Block Campus, Beside FCI Godown, Darbhanga, Bihar-846002, Phone No:- 06272-244645.

**Assistant Director**
**Social Security Cell**
**-Cum-**
**District NodalOfficer, MBNY, DARBHANGA.**

**PR. No. 014340 (Welfare) 2026-27**

This information is available on website **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** also

**गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।**

# जीरादेई में महिला पर तेजाब फेंकने का आरोपित गिरफ्तार

**सीवान।** जीरादेई थाना क्षेत्र के रूईया गांव में महिला पर तेजाब फेंककर उसे गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त मुन्नी लाल राम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त इसी गांव का निवासी है। पुलिस उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया में जुटी है। पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को रूईया गांव में एक महिला अपने घर के बरामदे में सो रही थी। इसी दौरान गांव के ही मुन्नी लाल राम, पिता स्वर्गीय जदु राम, तथा अन्य लोगों पर महिला के शरीर पर जान से मारने की नीयत से तेजाब फेंकने का आरोप है। घटना में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही जीरादेई थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं, जिलाधिकारी के निर्देश पर पीड़िता के उपचार के लिए मेडिकल टीम का गठन किया गया। पीड़िता के फर्दबयान के आधार पर जीरादेई थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी अनुसंधान और प्राप्त आसूचना के आधार पर पुलिस ने नामजद अभियुक्त मुन्नी लाल राम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में जीरादेई थानाध्यक्ष पु.अ.नि. राहुल कुमार तिवारी और थाने के अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

# पंचदेवरी में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

**पंचदेवरी।** कटेया थाना क्षेत्र के भाटपोइया गांव में गुरुवार को एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 24 वर्षीय प्रीति देवी, पत्नी दिवाकर मिश्रा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। उसकी शादी वर्ष 2023 में हुई थी। सूचना मिलने पर कटेया थाने के ?पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने उसके पति, सास और देवर पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, ससुराल पक्ष का कहना है कि प्रीति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। फिलहाल विवाहिता की मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। मृतका प्रीति देवी मूल रूप से पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के भटटोली गांव की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम स्वर्गीय बिहारी राय था। उसकी शादी भाटपोइया गांव निवासी स्व उमेश मिश्र के बेटे दिवाकर मिश्रा से हुई थी। प्रीति का करीब एक वर्ष का एक बच्चा भी है। मां की मौत के बाद बच्चे के सिर से ममता का साया उठ गया है। घटना के बाद मायके पक्ष के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हालांकि, विवाहिता की मौत को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे सामने आने के बाद पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मायके वालों ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रीति को उसके ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों के अनुसार, उसका पति अक्सर शराब के नशे में घर आता था और उसके साथ मारपीट करता था। मायके वालों का कहना है कि पति प्रीति पर मायके से रुपये मांगकर लाने का दबाव बनाता था। रुपये की मांग को लेकर उसे परेशान किया जाता था। मायके पक्ष ने इन्हीं परिस्थितियों का हवाला देते हुए प्रीति की मौत को संदिग्ध बताया है। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि पति, सास और देवर ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।

हालांकि, मायके पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। ससुराल पक्ष ने आत्महत्या का किया दावा, दूसरी ओर, ससुराल पक्ष का दावा है कि प्रीति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस तरह घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विवाहिता की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयानों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

**जल संसाधन विभाग**
**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**
**सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद**
**निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–04/2026-27**

बिहार सरकार

1. कार्य विवरणी:–

| क्र० सं० | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (रू० में) | अग्रधन की राशि(रू० में) | परिमाण –विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रू० में) | कार्य समाप्ति की तिथि | स्थानीय अभिकर्त्ता के संबंधित जिला |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत कार्यालय भवन में रख–रखाव एवं Bathroom निर्माण कार्य। | 4,63,933.00 | 9,300.00 | 750.00 | 02 माह | जहानाबाद |

2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद।
3. निविदा विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 19.11.2026 से 20.11.2026 को कार्यालय अवधि तक।
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 23.11.2026 समय 03:00 बजे अपराह्न।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 23.11.2026 समय 03.30 बजे अपराह्न।
6. परिमाण- विपत्र बिक्री का कार्यालय : 1) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ। 2) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालंदा, बिहारशरीफ। 3) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :क्रमांक 5 के सभी कार्यालयों में।
8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवंसमय : सक्षम पदाधिकरी के आदेशानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदादाता को सूचित किया जाएगा।
9. निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेश जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट पर तथा निविदा प्रपत्र की बिक्री के स्थान पर सम्पर्क किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/wrd/पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

**PR. No. 014362 (WRD) 2026-27**

**कार्यपालक अभियंता,**
**सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद**
**मो0–7463889886**

**नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।**

## दीपावली-छठ को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग

**सिधवलिया।** सिधवलिया प्रखंड क्षेत्र में दीपावली और आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रवासी मजदूरों और यात्रियों की घर वापसी को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उठने लगी है। सिधवलिया के सामाजिक कार्यकर्ताओं जितेंद्र प्रसाद, शुभनारायण यादव, राकेश पांडेय सहित अन्य लोगों ने वाराणसी मंडल के डीआरएम को पत्र लिखकर कोलकाता, झारखंड और असम रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि दीपावली और छठ पर्व पर बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घर आते हैं, लेकिन ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार टिकट कन्फर्म नहीं होने से लोग त्योहार में घर नहीं आ पाते। लोगों ने मांग की है कि सिधवलिया, भटनी, छपरा रूट पर सप्ताह में कम से कम दो दिन स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, ताकि यात्रियों को आने-जाने में सुविधा हो। साथ ही त्योहार बाद वापस लौटने के लिए भी स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि यदि स्पेशल ट्रेन चलती है तो हजारों प्रवासियों को राहत मिलेगी और वे सपरिवार त्योहार मना सकेंगे।

# दीपावली और छठ पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे

सीवान। दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, जनसुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला पदाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पटाखे केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही बेच सकेंगे। वहीं, पटाखे चलाने की अनुमति रात आठ बजे से दस बजे तक ही रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अधिक धुआं, शोर और अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले लड़ियों एवं सीरीज वाले पटाखों के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। केवल पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्मित अनुमन्य हरित पटाखों की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी। 125 डेसीबल से कम ध्वनि वाले पटाखों के संबंध में निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। बेरियम नाइट्रेट, एंटीमोनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड जैसे हानिकारक पदार्थों से निर्मित पटाखों के उत्पादन, वितरण, खरीद और बिक्री पर रोक रहेगी। ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से भी पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विदेशी और चाइनीज पटाखों की खरीद-बिक्री पर रोक है। ऐसे पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुज्ञप्ति के पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वालों को चिह्नित कर विस्फोटक सामग्री जब्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। पटाखों की बिक्री के लिए इच्छुक विक्रेताओं से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार जांच के बाद अधिकतम 15 दिनों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपयुक्त खुले मैदान या स्थलों को चिह्नित कर दुकानदारों को आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। बिना अनुज्ञप्ति किसी को भी पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। अनुज्ञप्ति जारी करने की सूचना जिला शस्त्र शाखा को भी उपलब्ध करानी होगी। सुरक्षा के मद्देनजर पटाखों की दुकानों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक लाइट और बिजली के खुले तारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र, बालू की बाल्टियां और आग से बचाव के अन्य आवश्यक उपकरण रखने होंगे। साथ ही, निर्धारित क्षमता वाली जल स्प्रिंकलर प्रणाली स्थापित करने, पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने सुरक्षित शेड में रखने और शेड के 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। शेड आमने-सामने नहीं बनाए जाएंगे तथा निर्धारित सुरक्षा दूरी के भीतर खुली रोशनी या तेल एवं गैस से जलने वाले लैंप का उपयोग नहीं होगा। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, सचिवालय, विधानमंडल, राजभवन और जैविक उद्यान परिसर के 100 मीटर के दायरे में शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग वर्जित रहेगा। शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में भी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

## कर्बला में ज्वेलरी दुकान का ताला काटकर 7 लाख की चोरी, हड़कंप

**बड़हरिया( सीवान )।** ठंड के दिनों में चोरी की घटनाएं बढ़ जाती है अभी ठंड की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है की चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर दस्तक सुनिश्चित की है ज्ञात हो कि महीनो के बाद चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देकर चोरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है घटना कर्बला स्थित सानवी ज्वेलर्स सामने आई है, जहां 28 तारीख की रात्रि चोर गिरोह ने दुकान का ताला तोड़कर तकरीबन 70 ग्राम सोना, ढाई किलो करीब चांदी, एवं नगदी 70 हजार की रकम पर हाथ साफ किया है घटना का पता अगले दिन सुबह तब चला, जब आसपास के लोगों की नजर दुकान के कटे हुए ताले, चोरी के क्रम में तोड़े गए दीवार पर पड़ी, लोगों ने देखा कि निश्चित है या चोरों की करतूत है तब ज्वेलरी दुकान के मालिक को पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई, ज्वेलरी दुकान के मालिक अपने घर पर थे तथा जानकारी मिलने के बाद कर्बला अपनी दुकान के लिए रवाना हुए, इनके आने पर दुकान में प्रवेश के बाद सब कुछ स्पष्ट हुआ, फिर दुकानदार ने घटनाक्रम की जानकारी बड़हरिया पुलिस को दी, जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने इस घटना में छानबीन और पड़ताल की, दुकानदार ने चोरी की घटना में हुए नुकसान का अंदाजा लगाया तथा बताया कि चोरों ने कमर तोड़ नुकसान पहुंचा है 70 ग्राम सोना, चांदी ढाई किलो, और नगदी रुपए को खुराक बनाया गया है दुकानदार ने कहा कि अभी धनतेरस पर आभूषणों की खरीदारी करनी बाकी थी गनीमत है कि यह खरीदारी कर दुकान में और सोना चांदी नहीं रखा गया था अन्यथा इस घटना में जितना चोरों के हाथ लगा है और जो नुकसान पहुंचा है यह और भी कमर तोड़ हो सकता था बरहाल पुलिस ने चोरी के मामले में दुकानदार की शिकायत पर थाना कांड संख्या 481/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

**बिहार सरकार**

**कार्यालय :– कार्यपालक अभियंता,**
**बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल, पूर्णिया**
**E-mail ID:-** fcdpurnea@gmail.com
**अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :– 02/2026–27**
**पत्रांक 2223**

1. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक 22.10.2026
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :– दिनांक 31.10.2026 से दिनांक 05.11.2026 तक (कार्यालय कार्य अवधि में)
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक 06.11.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 06.11.2026 को अपराह्न 3:30 बजे ।
6. परिमाण विपत्र की बिक्री एवं प्राप्ति का स्थान :– 1. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया। 2. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णियाँ। 3. मुख्य अभियंता,बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग कटिहार।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि :– तिथि एवं समय बाद में निर्धारित किया जायेगा।
8. निविदा की वैधता की अवधि :– निविदा प्राप्ति के 120 दिन तक।
9. कार्य की विवरणी :–

| ग्रुप सं0 | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में) | अग्रधन की राशि (रू0 में) | परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यपर्णीय) (रू0 में) | कार्य समाप्ति की अवधि | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | कार्यालय/अन्य संबद्ध भवनों तथा परिसरों के वार्षिक संधारण हेतु । | 5.00844 | 10100.00 | 1250.00 | 15.01.2027 | पूर्णिया जिला के स्थानीय अभिकर्त्ता हेतु |
| 02 | सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता के कार्यालय का त्रैवार्षिक रंगाई पोताई आदि हेतु। | 3.28200 | 6600.00 | 750.00 | 15.01.2027 | पूर्णिया जिला के स्थानीय अभिकर्त्ता हेतु |

10. निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेश जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में अथवा मोबाईल संख्या 7463889220 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**कार्यपालक अभियंता,**
**बाढ़ नियंत्रण जल निस्सरण**
**प्रमंडल, पूर्णिया।**
**मोबाईल नं0:–7463889220**

विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।
PR. No.014259 (WRD) 2026-27

**नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।**

# विस्फोट कांड ने छीन ली मुस्कान, छोटी चूक बनी आधा दर्जन की मौत का कारण

बड़हरिया(सीवान)। अलमापुर में बड़े बेबाकी से बम, बारूद और पटाखे बनाए जाने का धंधा संचालित किया जा रहा था, इस धंधे के लिए गाँव ने वर्षों से अपनी पहचान बना रखी थी, इस धंधे में लगे सभी को पता जरूर था कि असुरक्षा के साए में धंधे को संचालित किया जा रहा है पर शायद आदत सी हो गई थी घटना में जान गंवाने वाले अमीरुद्दीन रोजाना, दैनिक कार्यों को करने के बाद इस काम में लग जाते थे, मौत के मुंह में खुद भी रहना, तथा पूरे परिवार को रखना, इसकी गंभीरता, इस लिए समझ नहीं आती थी कि यह तो रोज का काम है लेकिन जिसे रोज का काम समझा जा रहा था वह रोज मौत और कोहराम, को छूकर बच आने वाला कारोबार था यूं कहें कि जिंदगी को सूली चढ़ाकर यह काम किया जा रहा था शायद कभी तो घटना के शिकार परिवार के अमीरुद्दीन इस काम को करते वक्त, यह सोचकर कर गुजरे होते कि रोजाना बहुमूल्य अनमोल जीवन को खतरनाक बम की सुतलियों में लपेटी जा रही है तो जिस तरह क्षण भर में आधा दर्जन जिंदगियां, हंसता खेलता एक परिवार काल के गाल में समा गया, यह मंजर देखने को नहीं मिलता, अब हर तरफ अफसोस है अमीरुद्दीन ने खुद की जान तो गंवाई मगर साथ में वो आँखें भी हमेशा के लिए बंद हो गई, जिनमें अभी बहुत कुछ देखने का सपना पल रहा था अमीरुद्दीन की बात करें तो इनका पूरा जीवन इसी धंधे में गुजरा है उम्र करीब 60 वर्ष पूरी हो चुकी थी लेकिन लोगों के बीच इस घटना में जान गंवाने वाले उन बच्चियों, माशूमों से जुड़ा दर्द अधिक है जिन्हें शायद ही अंदेशा होगा कि कभी यह धंधा एक साथ इतने बड़े अंजाम तक पहुंचा देगा, मालूम हो कि घटना में अमीरुद्दीन के तीन नातिन की मौत हो चुकी है जो घर में घटना के रोज अलग अलग जगह मौजूद थी अन्य की भी जान गई है इसमें एक मुस्कान की कलाई पर मेंहदी रचने वाली थी पर मेहंदी से पहले मुस्कान दफन ए खाक हो जाएगी, यह अंदेशा से परे था ज्ञात हो कि मुस्कान की लाश घटना के चौथे दिन किचेन से मिली थी लाश मिलने के दिन, रात्रि ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है मुस्कान 5 बहने थीं एक बहन अपने चाचा के साथ मुंबई रहती थी 4 यहीं पर जिसमें 3 अब दुनिया में नहीं रही, बस 2 बहने हीं बची है ऐसे में जीवित बची मां का दर्द महसूस किया जाए तो सांसे थम सी जाएंगी, बम पटाखे के धुएं की तरह ही परिवार का सबकुछ खत्म हो चुका है और सब हुआ कैसे तो सिर्फ एक अनदेखी, खतरों से खेलने की आदत व खुद को जाबांज समझने की भूल में, घटना के दौरान जो विस्फोट की आवाज गूंज उठी, वह तो थम गई है लेकिन आधा दर्जन मौतों से उठी आवाज, कोहराम अब भी अपनों के बीच गूंज रही है जो गूंज शायद ही कभी थमने वाली हो।

# भूमि विवाद में लाठी-डंडे से पीटकर वृद्ध की हत्या

**कुचायकोट।** गोपालपुर थाना क्षेत्र के बसौनापुर गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में 65 वर्षीय वृद्ध छठू खरवार की मौत हो गई। आरोप है कि विवादित जमीन पर निर्माण कार्य का विरोध करने पर उन्हें लाठी-डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जबकि मृतक के परिवार में चीख-पुकार मची हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पुत्र ने आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, छठू खरवार का अपने पाटीदारों के साथ 16 कट्ठा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के पुत्र के मुताबिक, इस जमीन को लेकर न्यायालय ने स्थगन आदेश भी जारी किया था। इसके बावजूद बुधवार की शाम कुछ लोग विवादित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर मृतक के परिवार के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान छठू खरवार की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

**बिहार सरकार**

**समाहरणालय, नवादा**
**(मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग)**
**अल्पकालीन आम नीलामी सूचना**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पादवादों में राज्यसात किये गये निम्नलिखित वाहनों को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् आम नीलामी (Public Auction) क्रमशः दिनांक **13.11.2026, 20.11.2026, 26.11.2026** को समाहरणालय, नवादा में 11:00 बजे पूर्वाहन से की जायेगी। नीलामी योग्य वाहनों की सूची निम्नवत है :–

| क्र. सं. | थाना का नाम | थाना काण्ड संख्या | वाहन का प्रकार | निबंधन संख्या | निबंधन का वर्ष | इंजन संख्या | चेचिस संख्या | मूल्यांकित राशि | अग्रधन की राशि | वाहन की अवस्थिति | वाहन मालिक का विवरणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | उत्पाद थाना, नवादा | 86/25 | WAGONR CAR | **MH02BD/ 9102** | **17-Dec-07** | F10DN442 6600 | MA3EED81 S00602452 | **35000.00** | **3500.00** | शराब डिपो | मेहसिन मोहम्मद फारूक दलखनिया, पिता– नारायण ठठेरा, ग्राम– वकोला पाईप लाईन नेहरू रोड, थाना– सांताक्रुज ई मुंबई, मुंबई, (महाराष्ट्र)– 400055 |

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को विहित प्रपत्र में आवेदन, स्वअभिप्रमाणित आधार नंबर, पैन कार्ड की छायाप्रति, आचरण प्रमाण संबंधित शपथ पत्र एवं तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो Superintendent of Excise, Nawada के पद नाम से तथा Payable at SBI Nawada में देय होगा को क्रमशः दिनांक **06.11.2026, 18.11.2026, 24.11.2026** के अप० 04:00 बजे तक किसी कार्य दिवस को कार्यालय अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा में जमा करना होगा।
2. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अधीक्षक मद्य निषेध, नवादा से सम्पर्क किया जा सकता है nawada.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

**PR- 014217 ( EXCISE ) 2026-27** नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

**(कृते समाहर्त्ता, नवादा)**
**अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा।**